संख्या- 11/2023/683ई-2/तेरह-2023-229885

प्रेषक,

राकेश कुमार सचान,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 03 अप्रैल, 2023

विषय:- मेसर्स डालमिया भारत शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., डिस्टिलरी डिवीजन, यूनिट जवाहरपुर, ग्राम जवाहरपुर, पोस्ट रामकोट, तहसील-सीतापुर, जिला सीतापुर की क्षमता 110 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 385 लाख लीटर से बढ़ाकर 280 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 980 लाख लीटर किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-309/दो-प्रा.डी.-243/डालमिया-ग्रेन, दिनांक 20-02-2023 एवं पत्र संख्या:जी-327/दो-प्रा.डी.-243/मे. डालमिया-ग्रेन, दिनांक 17-03-2023 तथा प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 29-03-2023 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या-671ई-2/तेरह-2023-229885, दिनांक 31-03-2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 20-02-2023 एवं 17-03-2023 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत मेसर्स डालमिया भारत शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि., डिस्टिलरी डिवीजन, यूनिट जवाहरपुर, ग्राम जवाहरपुर, पोस्ट रामकोट, तहसील-सीतापुर, जिला सीतापुर की क्षमता 110 कि.ली. प्रतिदिन से बढ़ाकर 280 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात् वर्ष में 385 लाख लीटर से बढ़ाकर 980 लाख लीटर किये जाने हेतु 170 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता का अनाज पर आधारित प्लान्ट, जिसके अन्तर्गत रेक्टिफाइड स्प्रिट/अब्सोल्यूट अल्कोहल का उत्पादन एवं विक्रय किया जायेगा, स्थापित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(क) इकाई द्वारा शासनादेश दिनांक 26.03.2021 में लगायी गयी शर्तों का अक्षरश: अनुपालन किया जायेगा।

(ख) नियमानुसार भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य विभागों से सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत अनापत्ति/अनुज्ञा आसवनी चलाये जाने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(ग) ग्रेन से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु इकाई द्वारा उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग में लाये जाने वाले अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति को सुगम करने व अंतर्विभागीय सामंजस्य स्थापित करने एवं उत्पादनकर्ताओं की कठिनाईयों को संज्ञान लेकर उन्हें दूर किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 26.03.2021 के प्रस्तर-3(4)(छ) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा। उक्तानुसार अनाज व अन्य पदार्थों की आपूर्ति के परिप्रेक्ष्य में स्टीयरिंग कमेटी द्वारा यथास्थिति मानव उपयोग व पशु उपयोग हेतु वांछित अनाज व अन्य पदार्थों की प्रदेश की वार्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिये जाने वाले निर्देशों का अनुपालन प्रश्नगत इकाई को करना होगा।

(घ) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ड.) आबकारी आयुक्त द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आसवनी पर राजस्व बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।